(5)

490
21.8.14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

रिव्यु 3045-III/14

1. बाल्मीक प्रसाद तनय रामदास निवासी ग्राम जोरौट, तहसील मउगंज, जिला रीवा म0प्र0

2. बालगोबिन्द प्रसाद तनय रामदास निवासी ग्राम जोरौट, तहसील मउगंज, जिला रीवा म0प्र0

श्री. अनन्त त्रिपाठी .एड के द्वारा आज दिनांक 21.8.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अनावेदक/आवेदकगण

ब नाम

1. रघुनाथ मृतक वारिस-

1. वेदवती बेवा रघुनाथ प्रसाद
2. श्याममणि तनय रघुनाथ प्रसाद
3. राजेन्द्र प्रसाद तनय रघुनाथ प्रसाद
4. प्रद्युम्न तनय रघुनाथ प्रसाद
5. रमेश प्रसाद तनय रघुनाथ प्रसाद
6. अंजनी प्रसाद तनय रघुनाथ प्रसाद
7. नागेश प्रसाद तनय रघुनाथ प्रसाद
8. विद्या सागर तनय रघुनाथ प्रसाद
9. बृजवासी प्रसाद तनय काशीनाथ

रामाश्रय मृतक द्वारा वारिस

10. सरस्वती पत्नी बेवा रामाश्रय
11. सुशील कुमार तनय रामाश्रय
12. दिनेश कुमार तनय रामाश्रय
13. संयोगिता पुत्री रामाश्रय
14. संगीता पुत्री रामाश्रय
15. साधना पुत्री रामाश्रय
16. पूर्णिमा पुत्री रामाश्रय

क्रमांक 2736
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 25-8-14 को प्राप्त
बार्ड सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र ग्वालियर

बाल्मीक प्रसाद बालगोबिन्द

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 3045–तीन/2011 जिल–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–12–2014	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश 28–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन आवेदन में अनावेदक अभिभाषक द्वारा केवीयेट आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः उभय पक्ष अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक एवं अनावेदक केवीयेटकर्ता अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28–7–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 2426–तीन/2013 के मूल आदेश दिनांक 28–7–2014 में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा विस्तार से आदेश पारित कर, किया जा चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (डा0 मधु खरे) सदस्य	

14. संगीता पुत्री रामाश्रय
15. साधना पुत्री रामाश्रय
16. पूर्णिमा पुत्री रामाश्रय